रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2014/कार्तिक 26, 1936
No. 600] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2014/KARTIKA 26, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवंबर, 2014

सं. 109/2014-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 813(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 तथा वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के साथ पठित धारा 93 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 को संशोधित करने के लिए पुनः निम्नलिखित नियमावली बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का नाम सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी (संशोधन) नियमावली, 2014 है ।

(2) ये 22 नवंबर, 2014 से लागू होंगे।

2. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 में, नियम 7 में, उप-नियम (1) में, "वह तीन माह के भीतर कर सकता है" शब्द के लिए "वह, जहाँ नियम 3 अथवा नियम 4 के अंतर्गत प्रतिअदायगी का दावा कर चुका है को छोड़कर, तीन माह के भीतर कर सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 609/107/2014-डीबीके]

संजय कुमार, अवर सचिव

नोटः—मूल नियम सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 26 मई, 1995 के जरिए प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 97/2013-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 14 सितम्बर, 2013 द्वारा सा.का.नि. 631(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2013 के जरिए किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2014

No. 109/2014-Customs (N.T.)

G.S.R. 813(E).—In exercise of the powers conferred by Section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), section 37 of the Central Excise Act, 1994 (1 of 1944) and Section 93A read with Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, namely:—

1. (1) These rules may be called the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on 22nd November, 2014.

2. In the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, in rule 7, in sub-rule (1), for the words "he may within three months", the words "he may, except where a claim for drawback under rule 3 or rule 4 has been made, within three months" shall be substituted.

[F. No. 609/107/2014-DBK]

SANJAY KUMAR, Under Secy.

Note.—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 441(E), dated the 26th May, 1995 and last amended by notification number 97/2013-Custom (N.T.), dated the 14th September, 2013 *vide* number G.S.R. 631(E), dated the 14th September, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.